



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082025-265826
CG-DL-E-30082025-265826

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947

No. 12]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2025

का.नि.आ. 12(अ).— महाराष्ट्र सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. गानाब – 2722/प्र.क्र. 156/जपुक(29), तारीख 04 अक्टूबर, 2024 और टीएलसी 2024/सीआर-146/एम-10, तारीख 08 अक्टूबर, 2024 के द्वारा विद्यमान अहमदनगर जिले का नाम परिवर्तित कर अहिल्यानगर जिला कर दिया है;

और, अहमदनगर छावनी अहिल्यानगर जिले के भीतर स्थित है;

और, छावनी बोर्ड, अहमदनगर ने विद्यमान अहमदनगर छावनी का नाम परिवर्तित करके अहिल्यानगर छावनी करना अवधारित किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 259 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा छावनी बोर्ड, अहमदनगर द्वारा अवधारित किया गया है राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होते हुए अहमदनगर छावनी को अहिल्यानगर छावनी घोषित करती है।

[फा. सं. 14(6)/2022-रक्षा(क्यू एंड सी)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th August, 2025

S.R.O. 12(E)— Whereas, the Government of Maharashtra has *vide* its notification number Ganab-2722/CR-156/Japuk(29) dated the 04th October, 2024 and TLC 2024/CR-146/M-10 dated 08th October, 2024, altered the name of the existing district of Ahmednagar to district of Ahilyanagar;

And whereas, the Ahmednagar Cantonment is located within the district of Ahilyanagar;

And whereas, the Cantonment Board, Ahmednagar has determined to alter the name of the existing Ahmednagar Cantonment to Ahilyanagar Cantonment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub-section (1) of section 259 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government, as determined by the Cantonment Board, Ahmednagar, hereby declares the Ahmednagar Cantonment to Ahilyanagar Cantonment with effect from date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 14(6)/2022-D(Q&C)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.